0291 -5153719

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- dsrrauphd@gmail.com

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके./पीएच.डी./यू.जी.सी./16-17/498 दिनाँकः

परिपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक **एफ.1-9/2006(सी.पी.पी.-II)** **दिनांक 01.09.2016** के माध्यम से आयोग द्वारा युवाओं को आरोग्य रखने हेतु तम्बाकू/धुम्रपान एवं नशें की लत से दूर रखने हेतु सक्रिय कदम उठाने सम्बंधित दिशानिर्देश प्रदान किये गये है। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालय/संस्थान/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को निर्देशित किया जाता है कि तम्बाकू पदार्थो के प्रयोग एवं नशें की रोकथाम हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करावें। जिस पर भविष्य में कार्यवाही विवरण मंगवाया जाना अपेक्षित है :-

1. सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालय/संस्थान/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से नशामुक्ति के रूप में जागरूक किया जाना (संगोष्ठी आयोजन, विचार -विमर्श प्रतियोगिता एवं भाषण इत्यादि)।
2. महाविद्यालय/संस्थान/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रमुख स्थानों यथा पुस्तकालय, परिसर, शौचालयों एवं केन्टीन इत्यादि पर नशामुक्ति सम्बंधित पोस्टर, चार्ट एवं बैनर सह चैतावनी लगवाने की व्यवस्था करावें।
3. महाविद्यालय/संस्थान/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नियमित समयावधि अन्तराल पर आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रूप से नशामुक्ति विषय बल दिया जाये।
4. महाविद्यालय/संस्थान/नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत छात्रों को तम्बाकू पदार्थो के सेवन से होने वाले केंसर रोग एवं एल्काहोल (शराब) के सेवन से स्वास्थ्य पर होने वाले दूष्प्रभावों के सम्बंध में विशेष रूप से जागरूक करें इस हेतु नाटक मंचन प्रयुक्त किया जा सकता है।

O/C

कुलसचिव

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके./पीएच.डी./यू.जी.सी./16-17/499-547 दिनाँकः 25.10.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रो. डॉ. जसपाल एस. सन्धू, माननीय सचिव महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 आपके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक **एफ.1-9/2006(सी.पी.पी.-II)** **दिनांक 01.09.2016** द्वारा प्रद्धत निर्देशों की अनुपालना में सादर प्रेषित।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. प्राचार्य, विश्वविद्यालय आयुर्वेद महाविद्यालय, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. डॉ. राकेश शर्मा, प्रभारी अधिकारी, तकनीकी शाखा, डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर " **युवावस्था में मादक एवं तम्बाकू पदार्थो से दूरी स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन का आधार**" शिर्षक के द्वारा अपलोड करने का क्षम करें।
5. सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान//नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र..
6. कार्यालय प्रति।

O/C

कुलसचिव